COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(1)

CF 151

न्यायालय राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /05

श्रीमती विमला बाई पत्नी विष्णु प्रसाद
निवासी- बनवीर खेड़ी
तहसील-आरोन जिला-गुना म0 प्र0
...आवेदिका
वि0
म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला
गुना म0 प्र0
....अनावेदक

Rev-1411-II/05

श्री के. के. द्विवेदी, अभि. द्वारा आज दि. 30.8.05 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

30 AUG 2005

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 608 पी.बी.आर/ओ.जेड पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 2-1-03 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन पत्र ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(1)

प्रकरण कमांक रिव्यु 1411–दो/05 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–9–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 2–1–2003 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 608–पीबीआर/2002 में पारित आदेश दिनांक 2–1–2003 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 30–8–2005 को विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदिका की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	